न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –15/2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025/13

सेन्ट मेरी हाई सेकेण्डरी स्कूल जर्ये अधिकृत एवं प्रिंसिपल किरण प्रभा जोशी ग्राम हनुवंतखेडा तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मि0नं0 350/2024 निर्णय दिनांक 24.12.2024 उनवान सरकार बनाम सेंट मेरी हायर सेकेण्डरी स्कूल

उपस्थिति

1. श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :– 10.03.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने ग्राम हनुवंतखेडा की भूमि सिवायचक के खसंरा नम्बर 505,506 की 0.20 हे0 0.04 हे0 किस्म बंजड,आबादी में संवत 2081 में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 350/2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 50/– रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 24.12.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 27.01.2025 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांन्ट को खसरा नम्बर 505,506 रकबा 0.20 हे0, 0.04 हे0 किस्म बंजड आबादी वाके ग्राम हनुवंतखेडा में सम्वत 2081 से अवैध रूप से कब्जा करने के बाबत धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 505 किस्म गैर मुमकिन बंजड भूमि जिस पर पुराने सतियों के चबूतरे निर्मित है ओर स्कूल के दक्षिण–पूरब की ओर दक्षिणी दीवार पर स्कूल में प्रवेश का मुख्य द्वार बना हुआ है, खसरा नम्बर 505 पर कोई अतिकमण नहीं है और ना ही कोई निमार्ण है, उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की खसरा नम्बर 507, 508,509, 510 के लगवा दक्षिण की तरफ स्थित है, प्रार्थी के उक्त स्कूल संस्थान सी.बी.एस.सी. बोर्ड से स्वीकृत है । आस पास आवासीय कॉलोनी विकसित है उक्त खसरा नम्बर 505 पर आस पास के आवासीय

जिला कलक्टर
कोटा

कॉलोनी वाले कचरा आदि डालते चले आ रहे है जिसके कारण आवारा मवेशी स्कूल में प्रवेश कर जाते है, इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्व भी प्रवेश करते है,उक्त खसरा नम्बर 505 के उत्तर दिशा की ओर 18 बाई 40 गुणा व0फीट भू–भाग पर स्कूल में जाने के रास्ते की स्वीकृति प्रदान कर रखी है चूंकि उक्त भूमि पर लगातार कचरा डाला जाता है, आवारा मवेशी व असामाजिक तत्व आये दिन आकर न्यूसेन्स करते है, अपीलान्ट के द्वारा कोई स्थायी निमार्ण नहीं कर रखा , ओर वैसे भी अपीलान्ट को तहसीलदार रामगंजमण्डी ने रास्ते का अधिकार दे रखा है जिस पर अपीलान्ट के द्वारा सुरक्षा व न्यूसेन्स बन्द करने के उद्देश्य से वाउण्डरीवाल का निमार्ण कर रखा है आदि तथ्यों के आधार पर जवाबदेही प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य का अवसर दिये बिना उक्त भूमि नियमन योग्य ना मानते हुए अपीलान्ट को बेदखल करने एवं शास्ति 50/– आरोपित कर निर्णय पारित किया है । विचारण न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय संहिता, कानून व प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत एवं बिना साक्ष्य का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है । अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 505,506 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, क्योंकि उक्त खसरा नम्बर पर पुराने सती चबूतरे बने हुये है तथा रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 25.01.2017 को रास्ते हेतु स्वीकृति प्रदान कर रखी है तथा उक्त भू भाग पर आस पास के कॉलोनी वालों के द्वारा कचरा डालने, जिसके कारण आवारा मवेशी एवं असामाजिक तत्व आकर न्यूसेन्स करने, बच्चों के स्वाथ्य व सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पडने, स्वीकृत रास्ते के साथ साथ सुरक्षा हेतु दीवार निर्मित कर रखी हैउक्त परिसर पर अपीलान्ट के द्वारा कोई स्थायी निमार्ण नहीं कर रखा है । उक्त भू भाग स्कूल के उपयोग में नहीं आता है उक्त स्कूल का निर्माण खसरा नम्बर 507,508,509,510 पर किया हुआ है, फिर भी विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार का स्थायी कब्जा ना होते हुए केवल उक्त भूमि खेल कूद एवं आवागमन के उपयोग में आने के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मन नहीं है । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है रिपोर्ट पटवारी पर उक्त निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.2024 को अपास्त किया जावें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम हनुवंतखेडा की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 505, 506 की रकबा 0.20 हे0, 0.04 हे0 किस्म बंजड, आबादी पर नाजायज कब्जा कोट कर अतिक्रमी किया है । इस प्रकार अतिक्रमी द्वारा अपनी स्कूल की भूमि के साथ साथ खसरा नम्बर नम्बर 505, 506 की रकबा 0.20 हे0, 0.04 हे0 भी वाउण्ड्री बनाकर कब्जा किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है । अपील अस्वीकार योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम हनुवंतखेडा की भूमि सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 505, 506 की रकबा 0.20 हे0, 0.04 हे0 किस्म बंजड, आबादी में अतिक्रमण करने पर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्व धरा 91 की कार्यवाही करते हुए 50/– की शास्ति एवं बेदखली के आदेश दिनांक 24.12.2024 को पारित किये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 27.01.2025 को पेश की गई है, अतिक्रमित भूमि सिवायचक बंजड, आबादी दर्ज है जो राजकीय भूमि है । अतिक्रमी द्वारा स्कूल की भूमि के साथ उक्त राजकीय भूमि को शामिल करके वाउण्ड्रीवाल बनाई जाकर अतिक्रमण किया हुआ है जो अवैधानिक होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप धारा 91 एल आर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली एवं शास्ति के आदेश जारी किये गये है । वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हो रहा है कि अतिक्रमी अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में

जिला कलक्टर कोटा

दिनांक 14.10.2024 को जवाब भी प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत जवाब में भी अपीलांट द्वारा स्वयं द्वारा खसरा नम्बर 505 की भूमि में से 0.20 हे0 भूमि स्कूल की बाउन्ड्री के अन्दर होना बताया है । जिससे जाहिर हो रहा है कि अपीलांट का खसरा नम्बर 505 506 की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण है, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से बेदखली का आदेश पारित किया है जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करान उचित नहीं पाते है । अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.12.2024 उचित होने से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा